Government of India (MHA)
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
Sashastra Seema Bal
सशस्त्र सीमा बल
Office of the Commandant, 57 Bn SSB, Sitarganj
Distt.- U.S. Nagar, (UK) 262405
कार्यालय कमांडेंट 57 वाहिनी स.सी.ब. सितारगंज उधम सिंह नगर उत्तराखंड- 262405

पत्रांक संख्या.-थपलियाल खेड़ा/पायोनियर/57/वाहिनी/स.सी.ब./24/- 205 दिनांक..03/01/2024.

सेवामे

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

विषय :- **सशत्र सीमा बल की सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा की 0.99 हे. वन भूमि हस्तांतरण हेतु, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून के निर्देशों की अनुपालन के सन्दर्भ में ।**

सन्दर्भ- पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून के पत्रांक संख्या- 1849 दिनांक-21.03.2023, कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक के पत्रांक संख्या 2313 दिनांक 03.04.2023, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग हल्द्वानी के पत्रांक संख्या-473/ 12-1 दिनांक-17.08.2023 की अनुपालन के सन्दर्भ में ।

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्रांकों के क्रम में पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून के पत्रांक संख्या-1849 दिनांक-21.03.2023, के द्वारा निर्गत सैधांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है –

क्र. स	बिंदु	टिप्पणी
01	वन भूमि की विधिक परिस्थिती नहीं बदली जाएंगी ।	दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
02	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोपे जाने के बाद ही वन भूमि सोपी जाएंगी ।	प्रयोक्ता अभिकरण को दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि 01 हेक्टेयर से कम है, अत: यह शर्त प्रयोक्ता अभिकरण सशत्र सीमा बल के प्रस्ताव में नहीं है ।
03	प्रतिपूरक वनीकरण : क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 2000 पौधों का रोपण कार्य किया जायेंगा एवं 10 वर्षा तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी @ CA rate for 1.98 ha area (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जाएंगी जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय प्रजातीय को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लए 2000 पौधों का रोपण कार्य किया जायेंगा एवं 10 वर्षा तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी @ CA rate for 1.9 ha area (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा करा दी गई है। जमा धनराशी का विवरण इस प्रकार है – शर्त संख्या 03 के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण हेतु-8,88,606/- CAMPA के खता संख्या 15089199148721126 में NEFT/RTGS Challan के द्वारा जमा करा दी गयी है) (प्रतिलिपी सलग्न) एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण (स्थानीय प्रजातीय) वन विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
	ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	बिदु 'ख' का निराकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।
	ग) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के.एम. एल. फाइल ,वृक्षारोपण क्षेत्र , प्रस्तावित एस.एम.सी.कार्य, प्रस्तावित केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू.एल.एम.सी. क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा ।	बिदु 'ग' का निराकरण वन विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

प्रेषक-डिस्पैचर
हल्द्वानी वन प्रभाग, तिकोनिया
263139, जि०-नैनीताल
04/01/2024

04	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो ,तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएंगी । प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा । इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं ।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से, प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग-हल्द्वानी के पास जमा करा दी गई है । जमा धनराशी का विवरण इस प्रकार है - शर्त संख्या 18 के अंतर्गत पिलर्स सीमांकन और स्तंभन हेतु धनराशी -56,000/- (चैक संख्या-326236) (प्रतिलिपी सल्गन)
05	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय **सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556दिनांक** 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 **एवं** 09.05.2008 **तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक** 5-1/1998-**एफ.सी.** (Pt.2) **दिनांक** 18.09.2003, 5-2/2006-**एफ़.सी.दिनांक** 03.10.2006 **एवं** 5-3 /2007- **एफ.सी.दिनांक** 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.99 हे.वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी । (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशी, यदि को हो , जो अंतिम रूप देने बाद देय हो , को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा ।	क. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 0.99 हे.वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य उत्तरांचल CAMPA को जमा करा दी गई है । जमा धनराशी का विवरण इस प्रकार है - शर्त संख्या 05 के अंतर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य . हेतु-9,48,202/- CAMPA के खता संख्या 15089199148721126 में NEFT/RTGS Challan के द्वारा जमा करा दी गयी है) (प्रतिलिपी सल्गन) ख. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशी, यदि कोई हो को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।
06	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वनों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लगात जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि के प्रस्ताव के अनुसार 01से ज्यादा वृक्ष नहीं काटे जायंगे ।
07	परियोजना के तहत परियोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत परियोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा करा दी गई है ।
08	एफ आर ए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा ।	एफ आर ए, 2006 प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि सलंग्न है ।
09	नवीनतम वन (सरंक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होना चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम **0.7** होना चाहिए ।	उक्त बिंदु का अनुपालना किया जायेगा ।
10	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे की इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे ।	बिंदु का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग हल्द्वानी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुपालना किया जायेगा ।

11	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करे की इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	बिंदु का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग हल्द्वानी के स्तर से किया जाना है तथा CA Rate के अनुसार जमा धनराशी का विवरण इस प्रकार है - शर्त संख्या 03 के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण हेतु-8,88,606/- शर्त संख्या 05 के अंतर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य हेतु-9,48,202/- CAMPA के खता संख्या 15089199148721126 में NEFT/RTGS Challan के द्वारा जमा करा दी गयी है) (प्रतिलिपी सल्गन)
12	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा ।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागु हो प्राप्त करेगा ।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागु होगा तो प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा ।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा ।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विभाग वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य क़ानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की वन लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग न करके सिर्फ वैकल्पिक ईंधन उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार , प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी.पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा ।जिस पर Forward /Backward bearings अंकित हों ।	आर.सी.सी.पिलर्स प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग हल्द्वानी के नाम डिमांड नोट के अनुसार जमा कर दिया है जिसका विवरण इस प्रकार है- शर्त संख्या 18 के अंतर्गत पिलर्स सीमांकन और स्तंभन हेतु धनराशी -56,000/- (चैक संख्या-326236) (प्रतिलिपी सल्गन) विद्यवित स्वीकृति होने के उपरांत Forward /Backward bearings अंकित करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा ।
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी ।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाता है।

	कार्यवाही होगी ।	
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय -समय पर निर्धारित शर्तें लागु होंगी ।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय -समय पर निर्धारित शर्तों का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा ।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पुर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी ।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समय पर प्राप्त की जाएगी ।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

अत: महोदय से अनुरोध है की उक्त सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा की वन भूमि को जल्द से जल्द सशस्त्र सीमा बल के नाम हस्तांतरण कराने की कृपा करे ।

इस हेतु आपका सहयोग सराहनीय होगा ।

कमांडेंट
57 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल
सितारगंज (उत्तराखंड)

(49)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Champawat (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of ..... district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. I.A.S deputy commissioner,. on dated at time ....at Champawat in which application claiming rights in Sharda.. area measuring .0.:93.:. hect for the construction of ..BOP.......... forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Tanakpur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee reconmend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Champawat

Date : 13/08/2021

Deputy commissioner-cum-chairman
District level Committee
जिलाधिकारी
चम्पावत

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम- सशस्त्र सीमा बल, की सीमा चौकी थपियालखेड़ा की स्थापना के लिए 0.99 है० वन भूमि स्थानान्तरण का प्रस्ताव |

कार्यालय उप जिलाधिकारी चम्पावत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवाशी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उप-खंड स्तरीय समिति, **टनकपुर** परिक्षेत्र के अंतर्गत सीमा चौकी थपियालखेड़ा की स्थापना के लिए आरक्षित वन भूमि **0.99 है०**,सिविल एवं सोयम वन भूमि .....है० , वन पंचायत भूमि , अर्थात कल **0.99 है०** वन भूमि) का **सशस्त्र सीमा बल** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति , तहसील टनकपुर की दिनांक 04/06/21 को संपन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....हिमांशु कफल्टिया.... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी| बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री ....हिमांशु कफल्टिया.......उप- जिलाधिकारी, टनकपुर.............................अध्यक्ष
2. श्री ....राजू कठायत (?)..........उप-प्रभागीय वनाधिकारी, टनकपुर.............सदस्य
3. श्री ....जितेन्द्र चन्द्र.............. सहायक समाज कल्याण अधिकारी...............सदस्य/सचिव
4. श्री ....श्रीमती ललिता देवी..........बी०डी०सी०क्षेत्र सैलानीगोठ ललिता देवी.......सदस्य

उपजिलाधिकारी पूर्णागिरि (टनकपुर)

क्षेत्र पंचायत सदस्य ललिता देवी ग्राम पंचायत फागपुर, सैलानीगोठ

उपखंड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई | माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया की **सशस्त्र सीमा बल, की सीमा चौकी परियोजना** हेतु 0.99 है० वन भूमि का एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्षं रखा गया | ग्राम सभा के अंतर्गत वनाधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है | उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है |

सम्बंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी **शारदा** द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 एवं नियम 2008 के प्रावधान को स्पस्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया की वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है | इस सम्बन्ध में ग्राम सभा द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है | अत: प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है |

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड टनकपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत **सशस्त्र सीमा बल, की सीमा चौकी थपियालखेड़ा परियोजना के निर्माण हेतु 0.99 है०वन भूमि** का प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तन किये जाने पर सहमती व्यक्त की गयी |

उप-जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय (वन अधिकारी समिति
तहसील- टनकपुर
जनपद चम्पावत

उपजिलाधिकारी पूर्णागिरि

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी , चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु |

उप-जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील- टनकपुर
जनपद चम्पावत

उपजिलाधिकारी पूर्णागिरि (टनकपुर)

प्रारूप -30.3

परियोजना का नाम- सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा की स्थापना हेतु 0.99 हे० वन भूमि स्थानान्तरण प्रस्ताव ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – सलोनीगोठ

तहसील टनकपुर जिला-चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखंड के जनपद चम्पावत के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 0.99 हे. सिविल सोयम भूमि..........हे. वन पंचायत भूमि ....हे.) अर्थात कुल 0.99 हे. वन भूमि का सशस्त्र सीमा बल विभाग के पक्ष में भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मत्रालय के द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया |

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11/04/2021....को संपन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई| यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्ज़ा/कृषि कार्य है अथवा नहीं है उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्ज़ा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है | इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है |

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थपलीयालखेड़ा के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि सीमा चौकी निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है |

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है |

Premchand

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि०ख० / जनपद–चम्पावत

Ramila

रमिला आर्या
ग्राम प्रधान-सैलानीगोठ
वि०ख०/जिला-चम्पावत

ग्राम प्रधान /सरपंच

मुहर सहित

प्रारूप -30.4

(52)

दिनांक 11/04/2021 को ग्रामसभा की संपन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत थपलीयाल खेड़ा/सलोनीगोठ

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती करिश्मा देवी	करिश्मा
2.	श्रीमती लक्ष्मी द्विवेदी	लक्ष्मी
3.	श्रीमती ऊषा राय	ऊषा राय
4.	श्रीमती ममता राय	ममता राय
5.	श्री गुरु पाण्डेय	GuruPandey
6.	श्रीमती प्रीती मेहर	प्रीती मेहर
7.	श्री भूवन चन्द्र कलौनी	[illegible]
8.	श्रीमती ममता चन्द	ममता चन्द
9.	श्रीमती गीता चन्द (उप प्रधान)	Geeta

Premchand
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि०ख० / जनपद–चम्पावत

Ramila
रमिला आर्या
ग्राम प्रधान-सलोनीगोठ
वि०ख०/जिला-चम्पावत
ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
ISSUING BRANCH: LUCKNOW MAIN BRANCH
कोड क्र./CODE No. 00125
Tel No. 0522-2230114

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: RELLIQ
Sr. No: 156765

1	3	1	2	2	0	2	3
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

मांगे जाने पर PRABHAGIYE VAN ADHIKARI HALDWA NI VAN PRABHAG*************** या उनके आदेश पर
ON DEMAND PAY OR ORDER

रुपये RUPEES Fifty Six Thousand Only

अदा करें ₹ 56000.00

IOI 000551326236 Key: RELLIQ Sr. No: 156765 AMOUNT BELOW 56001(0/5)
Name of Applicant GOVT BUSINESS BR LUCKNOW(7806).

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH:HALDWANI
कोड क्र. /CODE No: 00646

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
Jaishankar Prasad
SBS P411

₹1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

9 8 7 6 5 4 3 2 1

⑈326236⑈ 000002000⑆ 000551⑈ 16

18/12/23

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग,
हल्द्वानी-263139

Ministry :	018 - HOME AFFAIRS	Grant:	- All -
PAO:	024886 - Shashastra Seema Bal, Lucknow	DDO:	205819 - Commandant, 57th BN, SSB, Amritpur, Distt. Nainital, Uttarakhand.
Period:	11-12-2023 till 18-12-2023	Figures In:	Actuals
External	-All-	IEC Code	

Sr. No.	Sanction No.	Bill No.	Sanction Amount	Beneficiary Account No.	Beneficiary Amount	Beneficiary Name	IFSC Code	Accredited Bank	PFMS Transaction Id	PAO/CDDO DSC date & Time Stamp	Debit Status	Credit Status	Scroll Status	Scroll Date	UTR No. (Bank Transaction Id)	Reason For Failure	Physically Verified
1	142600	CP00001169	1836808	15089199148721126	1836808	UTTARANCHAL CAMPA	UBIN0996335	STATE BANK OF INDIA	S122300044490	12-12-2023 15:03:20	Success	Success	Success	13-12-2023	SBINR52023121219329287		Yes

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-11-2023

Agency Name.	57TH BN SSB SITARGANJ
Application No.	199148721126
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/66/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	VILL KALYANPUR , VPO SISONA , TEHSIL SITARGANJ , DISTRICT UDHAM SINGH NAGAR UTTRAKHAND 2624205Udham Singh Nagar
Amount(in Rs)	1836808/-

Amount in Words :Eighteen Lakh Thirty-Six Thousand Eight Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15089199148721126 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-11-2023

Agency Name.	57TH BN SSB SITARGANJ
Application No.	199148721126
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/66/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	VILL KALYANPUR , VPO SISONA , TEHSIL SITARGANJ , DISTRICT UDHAM SINGH NAGAR UTTRAKHAND 2624205 Udham Singh Nagar
Amount(in Rs)	1836808/-

Amount in Words :Eighteen Lakh Thirty-Six Thousand Eight Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15089199148721126 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank